

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु प्रिवर्तन विभाग

स्वी० संख्या-४ / घो० बजट-०९ / २०१० - ०१ / स्वी० च०पा० रॉची, दि०- २६/०५/२०१७

प्रेषक,

ए०के०रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पौ०-डोरण्डा,
झारखण्ड, रॉची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुल रु० ६५०.०० लाख (छः करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची का पत्रांक-११३ दिनांक-२७.०२.२०१७

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कार्यान्वित की जाने वाली झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुल रु० ६५०.०० लाख (छः करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र का उपबंध संभूचित है।

2. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में “झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान” के अंतर्गत कुल रु० ६५०.०० लाख (छः करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

प्रस्तावित कार्य विवरणी	इकाई	विषय कोड	बजटीय उपबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
भगवान बिरसा जैविक उद्यान का विकास एवं रथ-रथाव कार्य तथा वन्य प्राणियों के आहार आदि की व्यवस्था	७९-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई	19S240601796520679	650.00	650.00
कुल स्वीकृत राशि— (छः करोड़ पचास लाख रुपये)			650.00	650.00

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत ६५०.०० लाख (छः करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र की राशि सहायता-अनुदान के रूप में देने हेतु बजट मुख्य शीर्ष “2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष ०१-वानिकी, लघु शीर्ष ७९६-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष ५२-झारखण्ड राज्य चिडियाघर प्राधिकरण को अनुदान” विस्तृत शीर्ष-०६ अनुदान के अंतर्गत ७९-सहायता अनुदान सामान्य इकाई में कुल रु० ६५०.०० लाख (छः करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र की राशि का उपबंध है जिस राशि से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत नहीं जा रही राशि का झागेटन मंडिरमंडल सचिवालय एवं शगङ्क्य विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक भें बन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

5. झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को विशेष परिस्थिति में वैभासिक आधार पर राशि की निकासी कर केवल उतनी ही राशि को बैंक खाते से संचालित करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि राशि की समाप्ति होने पर ही पुनः कोधारार से राशि की निकासी कर बैंक खाता के माध्यम से संचालित की जायगी।

6. सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, ऑफेक्शन, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का। अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

प्राधिकरण को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य बन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य बन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य बन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।

7. इस राशि का व्यय प्राधिकरण के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप ही किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जाएगा तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

8. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।

9. प्रस्तावित कार्यों के लिए किसी भी अन्य श्रोत से करने के लिए राशि की मांग नहीं की जाएगी। यह जिम्मेवारी सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण की होगी।

10. सामग्रियों का क्रय तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

11. प्राधिकरण में वित्त विभाग के प्रतिनिधि अवश्य रहेंगे और सभी व्यय सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त कर किये जायेंगे।

12. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

01/स्वी०
26/०५/२०१७

१६/५

15. सदस्य सचिव, झारखण्ड प्राधिकरण के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसूचना से कम नहीं हो।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे खोत से राशि मिल रही है या गिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद-संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

18. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।

19. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा समय उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र बन एवं पर्यावरण विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड चिडियाघर प्राधिकरण को समर्पित की जायेगी।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में भाननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(ए०के०रस्ताणी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -4 / यो० बजट-०९/२०१० ०१/स्वीकृति व०५०/राँची, दिनांक-२६/०५/२०१७
प्रतिलिपि :- राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची, विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निरामनी विभाग, झारखण्ड, राँची, प्रधान मुख्य बन संरक्षक, झारखण्ड, राँची, अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पाँच प्रतियों में) तथा अद्व सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०रस्ताणी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -4 / यो० बजट-०९/२०१० - ०१/स्वीकृति व०५०/राँची, दिनांक-२६/०५/२०१७
प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, झारखण्ड, राँची, संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०रस्ताणी)

सरकार के विशेष सचिव